



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 मार्च 1941 (श०)

(सं० पटना 133) पटना, बुधवार, 12 फरवरी 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

12 फरवरी 2020

एस० ओ० 84 दिनांक 12 फरवरी 2020--बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 385, दिनांक 14 अक्टूबर, 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 1153 दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि जनवरी, 2020, फरवरी, 2020 और मार्च, 2020 के लिए उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी, ऐसे करदाताओं, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्तन पांच करोड़ रुपए तक हो, जिनके व्यवसाय का मूल स्थान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश राज्यों या संघ राज्यक्षेत्र दमन एवं दीव, दादर और नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप में है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से क्रमशः 22 फरवरी, 2020, 22 मार्च, 2020 और 22 अप्रैल, 2020 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी :

परंतु यह भी कि जनवरी, 2020, फरवरी, 2020 और मार्च, 2020 के लिए उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी, ऐसे करदाताओं, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्तन पांच करोड़ रुपए तक हो, जिनके व्यवसाय का मूल स्थान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिमी

बंगाल, झारखंड या उड़ीसा या संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, और दिल्ली राज्यो में हैं, इलेक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से क्रमशः 24 फरवरी, 2020, 24 मार्च, 2020 और 24 अप्रैल, 2020 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।”

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-7)-448)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

12 फरवरी 2020

एस० ओ० 84, दिनांक 12 फरवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-7)-448)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 12th February 2020

S.O. 84, Dated the 12th February 2020- In exercise of the powers conferred by section 168 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), read with sub-rule (5) of rule 61 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 385, dated the 14th October, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 1153, dated the 14th October, 2019, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, the following provisos shall be inserted, namely: -

“Provided also that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the months of January, 2020, February, 2020 and March, 2020 for taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees five Crore in the previous financial year, whose principal place of business is in the States of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana or Andhra Pradesh or the Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 22nd February, 2020, 22nd March, 2020, and 22nd April, 2020, respectively:

Provided also that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the months of January, 2020, February, 2020 and March, 2020 for taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees five Crore in the previous financial year, whose principal place of business is in the States of Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, West Bengal, Jharkhand or Odisha or the Union territories of Jammu and Kashmir, Ladakh, Chandigarh and Delhi shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 24th February, 2020, 24th March, 2020 and 24th April, 2020, respectively.”

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-7)-448)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 133-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>